न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 217/2020

श्रीभगवान नर्वदेश्वर नाथ वगै0.....वादीगण ।

बनाम्

भदर यादव वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

18.08.2023 उभय पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज वादी के तरफ से दिनांक– 06.12.2022 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 पर आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादीगण द्वारा यह मुकदमा यह घोषित करने के लिए लाया गया है कि जमीमा नं0 3 की एराजी वादीगण की हकीयती एवं दखली एराजी है तथा जमीन पर अतिक्रमण करना गलत, नाजायज वो वगैर किसी कानूनी अधिकार के है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि मौजा चौबे चक, राजस्व थाना नं0 217 राजस्व थाना डुमरॉव, पुलिस थाना ब्रहम्पुर, अंचल ब्रहम्पुर, जिला बक्सर जो जमीमा नं0 2 में दर्ज जमीन से बना है। चक खाता 14, खेसरा नं0 120, रकबा 1.42 डी0 में से 29 फीट पुरब से पश्चिम और 9 फीट उत्तर से दक्षिण प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त विवादित जमीन पर श्रीभगवान नर्वदेश्वर नाथ जी, श्री ठाकुर जी वो श्रीगणेश जी महाराज देवतागण का मूर्ति स्थापित है तथा उपरोक्त एराजी पर अतिक्रमण कर विवादित जमीन पर अपना हक हिस्सा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त एराजी पर सर्वे जानकार अधिवक्ता से वैज्ञानिक तरीके से साथ नक्शा का वो प्रतिवेदन के साथ मंगाना अतिआवश्यक है। अतः अनुरोध करते हैं कि किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता को आयुक्त बहाल कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नक्शा के साथ प्रतिवेदन मांगा जाये। वादी अधिवक्ता आयुक्त का खर्च देने को तैयार है।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 07.08.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है तथा वादी के अर्जी के जमीमा नं0 3 में अतिक्रमण सम्बंधी खाता खेसरा का चौहदी दर्शाया नहीं गया है तथा विाादित एराजी का खेसरा सं0 120 के चौहदी के किस् प्लाट में अतिक्रमण किया गया है, यह बात आवेदन के पारा–2 में दिया गया है।

लगातार
18.08.2023

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि प्रतिवादीगण का वासगीत पर्चा अंचलाधिकारी द्वारा दिया गया है तथा उक्त एराजी पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन दिनांक– 06.12. 2022 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद यह घोषित करने के लिए लाया गया है कि जमीमा नं0 3 की एराजी वादीगण की हकीयती एवं दखली एराजी है तथा जमीन पर अतिक्रमण करना गलत, नाजायज वो वगैर किसी कानूनी अधिकार के है तथा वादी द्वारा यह भी मांग किया गया है कि प्रतिवादीगण को यह आदेश दिया जाये कि निश्चित समयसीमा के अन्दर अतिक्रमण हटा लें तथा वादीगण को दखल कब्जा दिला दें। जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों के कथनों में असमानता है। अतः न्यायहित में उक्त विवादित जमीन की वर्तमान यथास्थिति सर्वे जानकार अधिवक्ता की नियुक्ति से ही सम्भव है। अतः वादी द्वारा दाखिल दिनांक– 06.12.2022 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित स्वीकृत किया जाता है। वादीगण सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की फीस मो0 2500/–(पचीस सौ रूपया) जमा करें तथा उभय पक्ष अपना अपना दिशा निर्देश जमा करें। कार्यालय सर्वे जानकार अधिवकता की नियुक्ति हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर को एक अनुरोध पत्र भेजें।

वास्ते दिनांक– 3.10.23 धारा 89 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु।

लेखापित

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।